

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि किसी अन्य प्रदानिकगती के नाम से।
शास्त्रधित विषय पर योग्य पूर्व में पञ्च
व्यवहार दुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



मात्र : सूचनाएँ
दृष्टान्त : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4517

दिनांक: 04/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध हैंडेर्ड इस्टर्नेल्यूठ ऑफ बर्सिंग एण्ड सार्सेंस एवं, मुहर, ग्वालियर (09425109600) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी. बर्सिंग प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमोंविषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अबुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)

(2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) प्रो. रेणुका दास, प्राचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जून विकास न्यास कैंपस पहाड़िया, ग्वालियर।

(4) श्रीमती ज्योति मोहिते, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों दो अनुरोध हैं कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर थुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधीकृत संस्था तो प्राप्त अनुमति/अजागाते प्राप्ति-पत्र, मत्रल, छोड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीएल्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अबुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राप्ति-पत्र का प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्थापित कर निरीक्षण कराय। निरीक्षण समिति द्वारा देव निरीक्षण समिति का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

निरीक्षण का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय प्रधान उत्तरदाता होगा। निरीक्षण सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोगाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो उसका द्वारा निरीक्षण हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जगा देना चाहिए। यह दूसरी निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को देने वाले अवैधानिक हैं।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय जहायक पत्रावली लेखने वाले महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए / डी.ए / एम.ए. द्वारा देव होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक दिनांक निरीक्षण कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अंदर।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुजा भवन, भोगाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संहारण